मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

कमांक 778/652/10/चार/बी–1 भोपाल, दिनांक 30 /06/2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषय– सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों पर किये गये व्ययों को योजना शीर्ष 8808 में वर्गीकृत करने के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों, उपकरणों एवं सामग्री कय पर होने वाले व्यय के लिए बजट में पृथक योजना शीर्ष '8808–सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य' निर्धारित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रत्येक बजट प्रावधान एवं व्यय का वर्गीकरण योजना शीर्ष 8808 के अन्तर्गत होना चाहिए।

उपरोक्त व्यवस्था के बावजूद कतिपय विभागों/कार्यालयों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों का वर्गीकरण अन्य लेखा/योजना शीर्षों में कर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि राज्य शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी हेतु कितना बजट प्रावधान/व्यय किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों/कार्यालयों को निर्देशित करें कि वे सूचना प्रौद्योगिकी संबधी कार्य, उपकरण एवं सामग्री कय पर होने वाले व्ययों को योजना शीर्ष –8808 के अन्तर्गत ही वर्गीकृत करे।

यदि बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से संबधित व्यय किया जाता है किन्तु योजना शीर्ष '8808–सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य, उपलब्ध नहीं है, तो आगामी अनुपूरक अनुमान में शीर्ष खोले जाने का प्रस्ताव तत्काल वित्त विभाग को भेजा जाय ।

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृ. कमांक 779/652/10/चार/बी–1 भोपाल, दिनांक 30 /06/2011

प्रतिलिपि –

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. समस्त अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग
3. समस्त बजट शाखाएँ वित्त विभाग

(वीरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव,
म.प्र. शासन, वित्त विभाग